संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना
वन्यप्राणी दत्तकग्रहण योजना

परिचय

153 एकड़ में फैले संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। इस उद्यान में 100 प्रजातियों के लगभग 1200 जानवर है। प्रत्येक वर्ष लगभग 18 लाख दर्शक इस जैविक उद्यान का भ्रमण करते है। यह उद्यान वन्यप्राणियों के संरक्षण के साथ–साथ दर्शकों में ज्ञान एवं जागरूकता पैदा करता है। यह उद्यान अत्यंत हरा–भरा है एवं लगभग 300 प्रजातियों के दस हजार से अधिक पेड़–पौधों का संरक्षण करता है।

दत्तकग्रहण क्यों करें?

वन्यप्राणी दत्तकग्रहण, वन्यप्राणियों के प्रति व्यक्तिगत स्नेह और समर्थन दिखाने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह उद्यान लुप्तप्रायः प्रजातियों के अन्तःप्रजनन एवं अन्य ऐसे कार्यक्रमों में लगा है जिसे प्रबुद्ध एवं जागरूक लोगों के समर्थन की आवश्यकता है।

वन्यप्राणी प्रकृति के अनमोल उपहार है। मानवीय उपेक्षाओं एवं भूलों के कारण इनकी संख्या तेजी से घट रही है। वन्यप्राणियों का दत्तकग्रहण कर हम प्रकृति को संरक्षित एवं मानवीय मूल्यों की रक्षा कर सकते है।

वन्यप्राणी दत्तकग्रहण कैसे करें?

- गोद लेने वाले (दत्तकग्रहण करने वाले) व्यक्ति को आगे दी गई सूची से अपने पसंदीदा वन्यप्राणी को चुनना है।
- गोद लेने वाले व्यक्ति को समर्थन के स्तर का चयन करना है।
- गोद लेने वाले व्यक्ति को संलग्न प्रपत्र के साथ देय राशि को मेलबॉक्स में डालना है अथवा जैविक उद्यान निदेशक के कार्यालय में सीधे जमा करना है।
- गोद लेने वाले व्यक्ति दत्तकप्राणी को अपने मित्र, सम्बन्धी, माता–पिता अथवा बच्चों को उपहार कर सकते है।

वन्यप्राणी दत्तकग्रहण की कुछ मुख्य शर्ते

1) कोई भी व्यक्ति/परिवार/व्यक्ति–समूह/प्रतिष्ठान/संस्था या कम्पनी पूरे चिड़ियाघर के सभी पशु–पक्षियों (दत्तकग्रहण किए गए जानवरों को छोड़कर) को एक दिन के लिए दत्तकग्रहण कर सकता है।
2) किसी भी व्यक्ति/परिवार अथवा व्यक्ति–समूह द्वारा शेर, बाघ, तेंदुआ, हाथी, गैंडा इत्यादि का दत्तकग्रहण 6 माह या एक वर्ष के लिए हो सकता है, जबकि कोई संस्थान/प्रतिष्ठान या कम्पनी 1, 2, 3 या 5 वर्ष के लिए दत्तकग्रहण कर सकती है।
3) दत्तकग्रहणकर्त्ता को विनिर्दिष्ट राशि निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पक्ष में पटना में भुगतेय चेक/बैंकर्स चेक/ डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा।
4) प्रत्येक दत्तकग्रहणकर्त्ता को एक दत्तकग्रहण कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
5) उद्यान के सभी नियम/कानून दत्तकग्रहणकर्त्ता पर भी सामान्य रूप से लागू होंगे।

6) दत्तकग्रहणकर्त्ता को दत्तकग्रहण किए गए वन्यप्राणियों को बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी और न ही इनके स्वामित्व का अधिकार होगा।
7) दत्तकग्रहणकर्त्ता को चिड़ियाघर के प्रबंधन में किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा दबाव डालने का अधिकार नहीं होगा।
8) यदि दत्तकग्रहणकर्त्ता दत्तकग्रहण सम्बन्धी किसी नियम का उल्लंघन करेंगे तो उद्यान प्रशासन को दत्तकग्रहण की राशि बिना लौटाए उनके दत्तकग्रहण के अधिकार को रद्द करने का अधिकार होगा।
9) दत्तकग्रहण के लिए न्यूनतम राशि बीस हजार रूपये मात्र है।

योजना के तहत् दत्तकग्रहणकर्त्ता को दी जाने वाली कुछ विशिष्ट सुविधाएँ

- दत्तकग्रहणकर्त्ता को वन्यप्राणी दत्तकग्रहण का प्रमाणपत्र एवं जू–स्मारक दिया जाएगा।
- दत्तकग्रहणकर्त्ता का नाम प्रवेशद्वार/जानवरगृह के समीप पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- जू ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रण–पास।
- चिड़ियाघर, शिशु उद्यान, मछलीघर एवं मिनी ट्रेन की निःशुल्क सुविधा (दत्तकग्रहण की पूरी अवधि में)।
- चिड़ियाघर खुलने की अवधि में निदेशक द्वारा आवंटित स्थल पर निर्धारित शर्तों के अधीन बिना नियमों के उल्लंघन के मिलन समारोह आयोजित करने की अनुमति।
- दत्तकग्रहणकर्त्ता का नाम चिड़ियाघर के वार्षिक प्रतिवेदन में भी सम्मिलित किया जाएगा।

कुछ मुख्य वन्यप्राणियों का दत्तकग्रहण शुल्क

योजना (क) व्यक्ति विशेष/परिवार अथवा व्यक्तियों के समूह (अधिकतम पाँच) के लिए दत्तक–ग्रहण के लिए वन्यप्राणियों की सूची

क्र०सं०	नाम/वन्यप्राणी की प्रजाति (एक वन्यप्राणी के लिए दर)	छः माह (रू०)	एक वर्ष (रू०)
1	हाथी	1,50,000	2,25,000
2	जिराफ	1,20,000	1,80,000
3	गैंडा	1,00,000	1,50,000
4	हिप्पोपोटोमस	1,00,000	1,50,000
5	शेर	1,00,000	1,50,000
6	बाघ	1,00,000	1,50,000
7	हिमालयन भालू	50,000	75,000
8	स्लोथ बेयर	50,000	75,000
9	उद्बिलाव	50,000	75,000
10	तेंदुआ	50,000	75,000

क्र०सं०	नाम/वन्यप्राणी की प्रजाति (एक वन्यप्राणी के लिए दर)	छः माह (रू०)	एक वर्ष (रू०)
11	जेबरा	50,000	75,000
12	कैश्वरी	25,000	37,500
13	गोल्डन कैट	20,000	30,000
14	जंगल कैट	20,000	30,000
15	लैपर्ड कैट	20,000	30,000

योजना (ख)– प्रतिष्ठान /संस्थान /कम्पनी के लिए।

(एक वन्यप्राणी के लिए दर)

क्रम सं०	नाम/वन्यप्राणी की प्रजाति	एक वर्ष (रू०)	दो वर्ष (रू०)	तीन वर्ष (रू०)	पाँच वर्ष (रू०)
1	हाथी	385000	582200	759400	957100
2	जिराफ	275000	415900	542500	683600
3	गैंडा	198000	299400	390600	492200
4	हिप्पोपोटामस	198000	299400	390600	492200
5	शेर	198000	299400	390600	492200
6	बाघ	198000	299400	390600	492200
7	हिमालयन भालू	110000	166400	217000	273400
8	स्लोथ बेयर	110000	166400	217000	273400
9	उद्‌बिलाव	110000	166400	217000	273400
10	तेंदुआ	110000	166400	217000	273400
11	जेबरा	110000	166400	217000	273400
12	चिम्पांजी	150000	225000	300000	400000
13	झोपड़ीनुमा केज सं० 1 (डमरू केज–पंडुक)	20000	35000	45000	60000
14	झोपड़ीनुमा केज सं० 2 (डमरू केज–कबूतर)	20000	35000	45000	60000
15	झोपड़ीनुमा केज सं० 3 (डमरू केज–छोटा मोर)	20000	35000	45000	60000

योजना (ग)– अपने मनपसन्द इंक्लोजर को दत्तकग्रहण करने के लिए।

(केवल प्रतिष्ठान /संस्थान /कम्पनी के लिए)

क्रम सं०	जानवर की प्रजाति/नाम	एक वर्ष (रू०)	तीन वर्ष के लिए (रू०)
1	पीकॉक इंक्लोजर	100000	248600
2	सारस क्रेन इंक्लोजर (मुख्य सड़क पर तीन की संख्या में)	100000	248600
3	पेलिकॉन इंक्लोजर (मुख्य सड़क पर)	150000	372000
4	घड़ियाल नर्सरी	200000	497200
5	बंदर इंक्लोजर	300000	745800
6	लेपर्ड इंक्लोजर	300000	745800
7	लंगूर इंक्लोजर	200000	497200
8	एमू इंक्लोजर	100000	248600
9	सियार इंक्लोजर	100000	248600
10	बार्किंग डीयर इंक्लोजर	100000	248600
11	हौग डीयर इंक्लोजर	100000	248600
12	चीतल इंक्लोजर	300000	745800
13	उद्‌बिलाव इंक्लोजर	240000	596600
14	कछुआ इंक्लोजर	100000	248600
15	कृष्णमृग इंक्लोजर	500000	1243000
16	जेबरा इंक्लोजर	200000	497200
17	सांभर इंक्लोजर	300000	745800
18	जिराफ इंक्लोजर	800000	1988800
19	घड़ियाल इंक्लोजर	250000	621500
20	काला बंदर इंक्लोजर	300000	745800
21	ऑटर केज के निकट बर्ड इंक्लोजर	75000	186450
22	ऑटर केज के सामने बर्ड इंक्लोजर	100000	248600
23	चिम्पांजी इंक्लोजर	300000	745800

नोटः— एक दिन के लिए पूरा चिड़ियाघर दत्तकग्रहण करने के लिएः उन जानवरों को छोड़कर जिनका दत्तकग्रहण अन्य योजनाओं में हो चुका हैः रू० 25,000/— (पच्चीस हजार रूपए)।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना
वन्यप्राणी दत्तकग्रहण आवेदन–प्रपत्र

1 व्यक्ति, परिवार, व्यक्ति–समूह, प्रतिष्ठान, संस्थान अथवा कम्पनी का नाम एवं पता :

2 चुने गए वन्यप्राणी / वन्यप्राणी इंक्लोजर का नाम :
(पूरा चिड़ियाघर दत्तकग्रहण की स्थिति में कृपया लिखें 'पूरा चिड़ियाघर')

3 दत्तकग्रहण की अवधि :

4 राशि :

5 भुगतान का तरीका :

चेक / ड्राफ्ट संख्या

बैंक का नाम

6 वन्यप्राणी इंक्लोजर अथवा प्रवेशद्वार के निकट पट्‌ट पर प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री :

7 प्रवेश–पास, जिनके पक्ष में निर्गत करना है, उनका नाम :

8 सम्पर्क विवरणी (दूरभाष / मोबाईल / ई–मेल आई.डी.) :

9 पैन / टैन संख्या :

मैं प्रमाणित करता / करता हूँ कि मैंने / हमने दत्तकग्रहण संबंधी सभी शर्तो एवं निर्देशों का पढ़ एंव समझ लिया है। मैं / हम सभी शर्तों एवं निर्देशों को स्वीकार करता / करती हूँ।

मैं उक्त दत्तकग्रहण.. के नाम में करना चाहता / चाहती हूँ।

दिनांक :

स्थान : हस्ता़क्षर